पेज १ का शेष...

स्वतंत्रता व जवाबदेही...

compromised in the name of accountability," का स्पष्टीकरण विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक वृहद प्रेस नोट जारी करके दिया जिसमें उन्होंने विधेयक के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए लिखा-

"By enforcing standards of behaviour, by declaration of assets by them (judges) and by providing mechanism for making complaints against erring judges and for their investigation, the Bill will establish the confidence and faith of the people in judicial system without exposing them to unnecessary risks.

It seems that the statement made by CJI Kapadia has been twisted and not seen and interpreted in full context."

वैसे तो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी एक अंग की जवाबदेही तय करना सरासर गलत है। जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है इसका नम्बर तो वैसे भी सबसे बाद में आता है। आम आदमी जब विधायिका व कार्यपालिका के भ्रष्ट कारनामों से त्रस्त हो जाता है, निराश हो जाता है तब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, अपनी सुरक्षा और अन्याय से बचाने की गुहार लगाता है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में कानून बनाने की जिम्मेदारी विधायिका (संसद व विधान सभाओं) को दी गयी है तथा उन बनाये गये कानूनों के अनुसार कार्य करने उनको पालन करने/कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दी गयी है, जब ये दोनों अपना दायित्व निभाने में विफल होती हैं या संवैधानिक भावनाओं के इतर जाकर कार्य करती है तब न्यायपालिका के दखल की आवश्यकता होती है और यह दखल विधायिका व कार्यपालिका की असफलता को इंगित करते हुए उन्हें आम आदमी की नजर में नंगा कर देता है जो उन्हें बहुत नागवार गुजरता है।

इस संदर्भ में देखा जाय तो जवाबदेही तो पहले विधायिका और कार्यपालिका की तय होनी चाहिए। हमारे कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि न्यायपालिका की जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए लेकिन उससे पहले विधायिका व कार्यपालिका की तय होनी चाहिए।

देश के मुख्य न्यायाधीश की यह चिंता जायज है कि जवाबदेही की आड़ में कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता न छीन ली जाय। यहां हम यह अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि इस देश की न्यायपालिका को बाहर से उतना खतरा नहीं है जितना स्वयं इसके अन्दर से है। जजेज की नियुक्ति के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं किया गया है लेकिन उस पर आज जितनी उंगलियां उठ रही हैं वे पूरी न्याय प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इस स्थिति को बयां करने के लिए ये शेर काफी है-

''मेरा इज्म इतना बलन्द है कि पराये शोलों का डर नहीं।
मुझे खौफ आतिशे-ए-गुल से है कहीं ये चमन को जला न दे।।''

कपाड़िया Suitable ....

बनायी गयी नीति या जिन पर नीति बनाना आवश्यक है नीति नहीं बनायी गयी, पर न्यायपालिका उनको नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती तो संविधान में अनुच्छेद ३२ व २२६ की व्यवस्था क्यों की गयी?

मुख्य न्यायाधीश का यह कथन "Judges need not govern the country as we are not accountable to the people" गले उतरने वाला नहीं है क्योंकि अगर जजेज जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है तो संविधान में 'we the people' का मतलब क्या है? संविधान ने 'we the judges', 'we the ministers', 'we the member of parliament', क्यों नहीं लिखा गया।

सरकार के खजाने में जमा धन जनता का ही होता है जहां से जजेज को वेतन तथा आम सुख सुविधाएं मिलती हैं तो जनता के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं है? शायद ऐसी ही सोच का परिणाम है कि ५०-५० साल पुराने मुकदमें उच्च और उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह न होने के कारण उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्धारित संख्या से कम जज काम कर रहे हैं जिससे Quantity और Quality दोनो पर कुप्रभाव पड़ रहा है इसकी जवाबदेही किसकी है किसने नियुक्ति करने से रोका है?

न्यायालयों का काम सरकार चलाना, संसद चलाना नीति बनाना नहीं है लेकिन आम आदमी की आवाज सुनकर संसद सरकार को संविधान सम्मत काम करने का निर्देश देना तो है ही और अगर ये नहीं कर सकते तो न्यायापालिका का कोई औचित्य नहीं है।❑

विधि/ न्याय/ अन्याय से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिखें, बताएं हम आप की सहायता करेंगे।

संपर्क करें-

अम्बिका प्रसाद, एडवोकेट

संपादक : **'जजमेण्ट आजतक'**

हिमांशु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ, मो.: 9839010677

e-mail : judgementaajtak@yahoo.co.in

'वफादारी का पुरस्कार'

२००८ से अबतक रिटायर होने वाले उच्चतम न्यायालय के जजेज को वफादारी का जो पुरस्कार आयोग व ट्रिब्यूनल में बिठाकर दिया है वह न्याय तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने में काफी मददगार है। जजेज जो कृपा पात्र बने इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी कुछ महीने का समय भी बचा था-

न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर, १६ जनवरी २००८ को सेवानिवृत्त होने के बाद १५ अप्रैल २००८ को सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाये गये।

न्यायमूर्ति अशोक भान, सेवानिवृत्ति से पहले ही 'National Consumer Disputes Redressal Commission' के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिये गये थे।

न्यायमूर्ति तरुन चटर्जी, ४ जनवरी २०१० को सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद 'Commissioner for setting the boundary dispute between Arunachal Pradesh and Assam' बने।

न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू, २० सितम्बर २०११ को सेवानिवृत्त होने के बाद ५ अक्टूबर २०११ को 'Press Council of India' के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली, फरवरी २०१२ में सेवानिवृत्त होने के बाद मार्च में ही 'West Bengal Human Rights Commission' के अध्यक्ष बना दिए गये।

न्यायमूर्ति पी.पी.नावलेकर, २६ जून २००८ में सेवानिवृत्त होने के बाद मध्य प्रदेश के लोकायुक्त बनाये गये।

न्यायमूर्ति लोकेश्वर पंटा, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले ही नव गठित 'National Green Tribunal' के अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गये।

भारत के पूर्व **मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन,** मार्च २०१० में सेवा निवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति जे.एम. पंचाल, ५ अक्टूबर २०११ को सेवा निवृत्ति होने के उपरान्त अध्यक्ष 'Mahadayi river water dispute between Karnataka, Goa and Maharashtra' के ट्रिब्यूनल हेड बनाये गये।

न्यायमूर्ति एच.के. सेमा, १ जून २००८ को सेवानिवृत्त होने के बाद उ.प्र. मानवधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, ८ अगस्त २००६ को सेवा निवृत्ति के बाद Telecom disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति मुकुन्दकम शर्मा, १८ सितम्बर २०११ को सेवानिवृत्त होने से पहले ही 'Vansadhara Water Dispute Tribunal' के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति एच.एस. बेदी ५ सितम्बर २०११ को सेवानिवृत्त होने के बाद गुजरात में २००३-२००६ के बीच हुए एनकाउन्टर की जांच को मानीटर करने तथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के निवास पर सैय्यद मोहम्मद यूसुफ शाह की मृत्यु की एकल न्यायिक आयोग के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति ए.के. माथुर, ७ अगस्त २००८ को सेवानिवृत्त होने के बाद नव गठित आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद Competition Appellate Tribunal' के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर, २१ अगस्त २०११ को सेवा निवृत्ति के बाद 'Competition Appellate Tribunal' के अध्यक्ष बने।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, सेवानिवृत्ति से पहले ही 'International Court of Justice के जज चयनित हो गये।